संख्या:2161/33–3–2016–02/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक: 09 अगस्त, 2016

विषयः 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–234/33–3–2016–2/2016 दिनांक 18.02.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18.02.2016 के प्रस्तर (**II**) व प्रस्तर–ग (iii) (iv) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:–

प्रस्तर (II) की वर्तमान व्यवस्था

(ii) पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को ग्राम पंचायतें उन मदों पर व्यय करेंगी जो नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वांछित हो। साथ ही ऐसे कार्यों/योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में उल्लिखित कार्यों/अधिकारों जिनका प्रतिनिधायन ग्राम पंचायतों को किया गया है।

ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनायेगी और खण्ड स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना सहायक विकास अधिकारी (पं0) स्तर पर संकलित कर अपने स्तर से जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। एक्शन साफ्टवेयर **(www.reportingonline.gov.in)** पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई0डी0 जनरेट की जायेगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन साफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जायेगी। प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर **(www.accountingonline.gov.in)** पर कार्यों के आई0डी0 **(Work-Id)** के सापेक्ष खर्च का व्यौरा दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा तथा प्लान–प्लस साफ्टवेयर **(www.planningonline.gov.in)** पर कार्ययोजना को अपलोड किया जायेगा। प्लान–प्लस साफ्टवेयर वर्तमान में भारत सरकार में तैयार किया जा रहा है, जो प्रकियाधीन है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक,पंचायतीराज द्वारा पृथक से इस संबंध में निर्देश निर्गत किए जाएंगें।

प्रस्तर (II) की संशोधित व्यवस्था निम्नवत होगीः–

(II) पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को ग्राम पंचायतें उन मदों पर व्यय करेंगी जो नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वांछित हो। साथ ही ऐसे कार्यों/योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में उल्लिखित कार्यों/अधिकारों जिनका प्रतिनिधायन ग्राम पंचायतों को किया गया है।

ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनायेगी और खण्ड स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना सहायक विकास अधिकारी (पं0) स्तर पर संकलित कर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लाक स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वय समिति के समक्ष रखी जाएंगी तथा समिति द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रेषित की जाएंगी और जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। एक्शन साफ्टवेयर **(www.reportingonline.gov.in)** पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई0डी0 जनरेट की जायेगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन साफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जायेगी। प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर **(www.accountingonline.gov.in)** पर कार्यों के आई0डी0 **(Work-Id)** के सापेक्ष खर्च का व्यौरा दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा तथा प्लान–प्लस साफ्टवेयर **(www.planningonline.gov.in)** पर कार्ययोजना को अपलोड किया जायेगा। प्लान–प्लस साफ्टवेयर वर्तमान में भारत सरकार में तैयार किया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक,पंचायतीराज द्वारा पृथक से इस संबंध में निर्देश निर्गत किए जाएंगें।

प्रस्तर–ग (iii) (iv) की वर्तमान व्यवस्था

(iii) सहायक विकास अधिकारी(पं0) के पद नाम से क्षेत्र पंचायत स्तर पर 14वें वित्त आयोग के तकनीकी एवं प्रशासनिक मद नाम से एक बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त होने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि से न्याय पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, तथा राज्य स्तर पर सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानदेय पर रखे जाने वाले कर्मचारी तथा क्वालिटी मानिटर के यात्रा भत्ता एवं अन्य प्राविधानित मदों पर व्यय किया जा सकेगा।

विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिविधियों पर आने वाले खर्च का अंश 14वें वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम पंचायतों द्वारा अनुपातिक अंश की धनराशि क्षेत्र पंचायत/सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी, अर्थात